

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण
केसी पुत्र मकनाराम जाति गुरु
निवासी जादरी तहसील बाली चगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2025/439
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
16 ⁰⁷ / ₂₅	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम जादरी स्थित भूमि खसरा नंबर 109, 110, 111 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.6500 हैक्टर किस्म बरानी दोयम कुल लगान 13.2500 रुपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमावंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, बेडल एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को निजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



3
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इत्तादाई
(ओ 20 कुल 6 7 जावा दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बड़जलास श्री दिनेश विरनोई, आर.ए.एस.

वादीगण
कंसी पुत्र मकनाशम जाति गुरु
निचारी जादरी तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किरम मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/439
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिव मुद्दई व मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम जादरी स्थित भूमि खसरा नंबर 109, 110, 111 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.6500 हैक्टर किरम बरानी टोयम कुल लगान 13.2500 रुपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमावंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार नौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, वेडल एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16/7/25 को जारी की गई।




(दिनेश विरनोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पवनरी नक्शा भूके अनुसार



प.स. लाहरी
 प.स. मेरह
 भू.अ.वि. पुन कुमल
 तहसील बाली



Handwritten signature

राजेश सिंह
 भू-अभिलेख निरीक्षक, खुडाला
 तहसील-बाली (पाली)

Handwritten signature

Handwritten signature
 तहसीलदार (भू.अ.) बाली

पवनी

दीनाराज

Handwritten signature
 श्री. देवराज

क्र.स.	काश्तकार का विवरण	पये काश्तकार वरग द्वारा पदर्शित	हस्ताक्षर
	देवरी पुत्री मदनाराम हिज्जा - ५५ जाति-गुरू दीनाराज पुत्र देवा पुत्री मदनाराम जाति-गुरू नरसिंग राव पुत्र शीनाराव हिज्जाति-गुरू पवनी पुत्री देवा पुत्री मदनाराम जाति-गुरू		दीनाराज श्री. देवराज पवनी